चिंता से मुक्ति

क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVT. OF INDIA
पंचदीप भवन, विंग नं0 4, शिवपुरी प्रेमनगर, देहरादून, उत्तराखण्ड
PANCHDEEP BHAWAN, WING NO. 4, SHIVPURI,
PREMNAGAR, DEHRADUN, UTTARAKHAND

दूरभाष
EPBAX No.
0135 – 2774762

फैक्स
0135-2771542

सं. 61-ए/49/12/4/2008 रा.भा.

दिनांक 01.04.2015

परिपत्र

विषय : राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित जांच बिंदु।

*****

मुख्यालय के पत्र सं.ए-49/13/2/2015-रा.भा.,दिनांक 24.03.2015 की अनुपालना में क्षेत्रीय कार्यालय/राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय,क.रा.बी.निगम,देहरादून के क्षेत्राधिकार में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित जांच बिंदुओं की सूची परिचालित की जा रही है :-

क्र.सं.	मद	अनुपालन का उत्तरदायित्व
1.	राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अन्तर्गत आने वाले सामान्य आदेश, परिपत्र, विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदन आदि द्विभाषी रूप में जारी करना ।	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में देना।	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी
3.	'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में भेजे जाने वाले पत्रादि ।	प्रेषण शाखा अधिकारी एवं हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी
4.	लिफाफों पर पता हिंदी में लिखना।	प्रेषण शाखा अधिकारी
5.	द्विभाषी देवनागरी टाईपराईटरों/ कम्यूटरों की खरीद।	सामान्य शाखा अधिकारी
6.	फार्मो, नियम पुस्तकों और मुद्रित होने वाली सामग्री का द्विभाषी प्रकाशन।	सामान्य शाखा अधिकारी
7.	रबड़ की मोहरें, नामपट्ट, सूचनापट्ट आदि द्विभाषी रूप में तैयार करवाना।	शाखा अधिकारी, सामान्य शाखा
8.	सेवा पुस्तिकाओं में हिन्दी में प्रविष्टियां।	प्रशासन शाखा अधिकारी/ लेखा शाखा अधिकारी
9.	हिन्दी का प्रशिक्षण/ कार्यशाला में प्रशिक्षित कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना।	नियंत्रक शाखा अधिकारी
10.	सामान्य जिम्मेदारी।	संबंधित हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी

उपर्युक्त जांच बिंदुओं का कड़ाई से पालन किया जाए *क्योंकि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा जांच बिंदुओं के अनुपालन के सम्यक अनुपालन पर अत्यधिक जोर दिया जाता है. साथ ही कीगई* कार्रवाई की रिपोर्ट 15.04.2016 तक *राजभाषा* शाखा को भेजी जाए।

(अमरजीत सिंह)
क्षेत्रीय निदेशक

सेवा में,

1). *संयुक्त निदेशक(रा.भा.), मुख्यालय, क.रा.बी. निगम, नई दिल्ली को सूचनार्थ.*
2). *सभी शाखा अधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक/ शाखाएं,क.रा.बी.निगम, क्षेत्रीय कार्यालय/ राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय. प्रबंधक/ सा.सु.अ.,क.रा.बी.निगम,सेलाक़ुई/ देहरादून/ भगवानपुर/ हरिद्वार/ लालकुआं/ काशीपुर/ रुद्रपुर.*

प्रतिलिपि:-
1). *सूचना बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल.*

क्षेत्रीय निदेशक